कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809008

पत्र संख्या-चे0पो0-25-क -परिपत्र इनलैण्ड कन्टेनर डिपो -2007-2008// 87 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(चेक पोस्ट-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 16 अप्रैल, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(SIB/कार्य/ अपील/उच्च न्या0कार्य/सर्वोच्च न्या0कार्य)वाणिज्यकर, उ0प्र0।

समस्त डिप्टी कमिश्नर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ SIB/क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वाणिज्य कर, उ0प्र0।

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0/वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।

Key word -1-21 Rectification in the Circular

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या- चे0पो0 -25क- इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो /2577 दिनांक 23.02.98, 1129 दिनांक 232.11.98, 2234 दिनांक 05.3.01, 255 दिनांक 30.4.02 व परिपत्र सं0 2711 दिनांक 25-03-2004 का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

2- परिपत्र सं0 2711 दिनांक 25.3.04 से शासन द्वारा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004, के अर्न्तगत निर्यात हेतु भेजे जाने वाले कस्टम सील्ड कन्टेनर कन्साइन्मेन्ट के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुरुप निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है :-

"निर्यात हेतु भेजे जाने वाले कस्टम शील्ड कन्साइन्मेन्ट की चेकिंग किसी भी विभाग द्वारा परिवहन के दौरान रास्ते में नही की जा सकेगी । आवश्यकता पडने पर गन्तव्य स्थान पर कस्टम विभाग के अधिकारियो को सूचित कर ही जॉच की जाएगी यदि कोई अधिकारी इस नियम का उल्लघंन करता है तो उसको अनिवार्य रुप से दण्डित किया जाएगा। अन्य मामलों में संबंधित विभाग द्वारा दायर की गयी चार्जशीट का निस्तारण अधिकतम 30 दिन के अन्दर कराया जाएगा ताकि उद्यमी अपने उत्पादन पर समुचित ध्यान दे सकें । "

3- दिनांक 30.1.08 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन निर्देशो को कारगर ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है । अत: इस संबंध में पुन: निर्देशित किया जाता है कि निर्यात हेतु भेजे जाने वाले कस्टम शील्ड कन्साइनमेन्ट की चेकिंग किसी भी दशा में रास्ते में न की जाए । यदि किसी कारणोवश जांच अपरिहार्य हो तो गन्तव्य स्थान पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को सूचित करके जांच की जाए । अन्य विभागों द्वारा उद्यमी के विरूध लगाये गये मामलों (करापवंचन के आरोपों) का 30 दिन के अन्दर निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए । यदि यह पाया जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशो को कारगर ढंग से लागू नही किया गया है या निर्देशों की अवहेलना की गयी है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।

3- विकास आयुक्त, नौएडा एस0ई0जेड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, दादरी रोड, फेज-2 नोएडा।

4- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

5- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश।

6- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ

7- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय।

8- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(जगमोहन लाल शर्मा)

ज्वाइंट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर ,

मुख्यालय , लखनऊ।